

जनपद बाराबंकी

प्रेस नोट सं0-57

दिनांक- 02.07.2021

थाना देवा पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट में 15,000/-रुपये का इनामियां अपराधी को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री यमुना प्रसाद द्वारा जनपद में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉ० अवधेश सिंह के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री सीमा यादव के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक देवा श्री धीरज कुमार के नेतृत्व में थाना देवा पुलिस टीम द्वारा दिनांक 01.07.2021 को मैनुअल इंटेलेजेन्स के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु०अ०सं० 362/2021 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट में वांछित शातिर नकबजन व 15,000/- रुपये का इनामिया अपराधी शकील पुत्र नूर अली निवासी मो०कटरा बिजनौर थाना सरोजनीनगर जनपद लखनऊ को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त एक शातिर किस्म का अभ्यस्त अपराधी है और इसका एक गिरोह है जो भौतिक एवं आर्थिक लाभ के लिए नकबजनी जैसे अपराध कारित करते हैं, जिनके विरुद्ध जनपद बाराबंकी में नकबजनी/चोरी से सम्बन्धित अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा 15,000/-रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था तथा मा०न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारण्ट निर्गत किया गया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

शकील पुत्र नूर अली निवासी मो०कटरा बिजनौर थाना सरोजनीनगर जनपद लखनऊ (उम्र-40 वर्ष)

आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 901/20 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।
2. मु०अ०सं० 946/20 धारा 458/380/411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।
3. मु०अ०सं० 1009/20 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।
4. मु०अ०सं० 1174/20 धारा 41/411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।
5. मु०अ०सं० 362/2021 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।

पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धीरज कुमार थाना देवा जनपद बाराबंकी।
2. उ०नि० श्री परमात्मानन्द पाण्डेय थाना देवा जनपद बाराबंकी।
3. हे०का० लवकुश सिंह, का० कृष्णकान्त पाण्डेय थाना देवा जनपद बाराबंकी।
4. रि० का० प्रवीण कुमार, रि०का० शेखर सिंह थाना देवा जनपद बाराबंकी।